बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
–:::कार्यालय आदेश:::–

का0आ0–15/बि0स0से–01–17/2024 सा0प्र0................../, पटना–15, दिनांक..........................

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय आदेश ज्ञापांक–87 दिनांक–06.02.2023 द्वारा श्री रामनाथ प्रसाद, सेवानिवृत संविदा सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को संविदा के आधार पर योगदान की तिथि से दो (02) वर्ष अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति होने तक के लिए जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना में नियोजित किया गया तथा सामान्य प्रशासन विभाग के कार्यालय आदेश संख्या–74 दिनांक–24.02.2025 द्वारा अगले 01 वर्ष अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति होने तक के लिए संविदा अवधि विस्तार किया गया।

2. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक–10000 दिनांक–10.07.2015 की कंडिका–3 (2)(क)(v) में निहित प्रावधान के तहत् सेवा अवधि विस्तार के संबंध में जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त अनुशंसा पर विचारोपरांत श्री रामनाथ प्रसाद, सेवानिवृत्त संविदा सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना की संविदा के आधार पर नियोजन अवधि को दिनांक–08.02.2026 से दिनांक–07.02.2027 तक अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति होने तक के लिए विस्तारित की जाती है।

3. इनके द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा समय–समय पर की जायेगी और कार्य संतोषजनक नहीं होने पर इनकी संविदा रद्द की जा सकेगी।

4. संकल्प की कंडिका–3(6)(i) के अनुरूप इन्हें मासिक मानदेय देय होगा। कंडिका–3(6)(iv) के तहत् सेवानिवृत्त और संविदा नियोजन के बीच वेतन/पेंशन पुनरीक्षण हो जाने की स्थिति में भी निर्धारित मानदेय अपरिवर्तित होगा। मासिक मानदेय की यह राशि संबंधित कर्मी को संविदा अवधि में कार्यरत् रहने की स्थिति तक स्थिर रहेगी। मानदेय का भुगतान संबंधित विभाग के स्थापना के मुख्य बजट शीर्ष में व्यवसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए अदायगियाँ ईकाई में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

5. सरकारी कार्यवश यात्रा किये जाने की स्थिति में कंडिका–3(6)(ii) के अन्तर्गत यात्रा भत्ता अनुमान्य होगा।

6. इन्हें सभी पदीय शक्तियाँ प्राप्त होगी तथा इन्हें आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त क्षतिपूर्ति अवकाश भी अनुमान्य होगा।

ह0/–
(मनोज कुमार)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक:–15/ बि0स0से–01–17/2024 सा0प्र0................/, पटना–15, दिनांक...............................

प्रतिलिपि:–प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषांगार पदाधिकारी, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–22 सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/श्री रामनाथ प्रसाद, सेवानिवृत्त संविदा सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:–15/ बि0स0से–01–17/2024 सा0प्र0 75 **/, पटना–15, दिनांक** 03.02.26

प्रतिलिपि:–आई०टी० प्रबंधक, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

03.02.26

सरकार के अवर सचिव।

28 | Path-E:\Mat/Sambda/ [65 to....].docx